(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1429-एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-3-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्र0क्र0 735/अपील/11-12.

चिरोंजी लाल पुत्र श्री मूलचन्द्र लोधी
निवासी ग्राम मेहदोन तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, विदिशा म0प्र0
2- श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महोदय
वन विभाग, विदिशा म0प्र0 ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता.
अनावेदक क्रमांक - एकक्षीय.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 735/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 13-3-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण क्रमांक 10/अ-19/84-85 में पारित आदेश दिनांक 30-4-85 से प्रश्नाधीन आराजी नं. 44/3 रकबा 15.99 में से रकबा 4.000 आवेदक को वंटित की गई थी । वन मंडलाधिकारी, विदिशा द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-9-07 द्वारा ग्राम मेहदोन की भूमि खसरा नं. 44 को वर्ष 1986 में आरक्षित

वन घोषित किये जाने का उल्लेख करते हुए यह जानकारी चाही गई कि जिसका पटवारी अभिलेख तैयार किया जाना है अतः उक्त भूमि किस दिनांक के आदेश एवं प्रकरण से आरक्षित वन भूमि घोषित की गई है की जानकारी दी जाये । उक्त पत्र पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने पटवारी को जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए साथ ही आवेदक को पत्र भेजकर यह जानकारी चाही गई कि वे वरिष्ठ न्यायालय में कोई प्रकरण गतिशील हो तो अभिलेख प्रस्तुत करें ।

आवेदक द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस का जबाव दिया गया जिसमें उल्ख किया गया कि उसने कलेक्टर, विदिशा एवं वन मंडलाधिकारी के विरूद्ध एक सिविल वाद क्रमांक 47/06 तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो गतिशील है, जिसमें स्थगन चाहा गया था जो नहीं दिया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने माननीय जिला न्यायाधीश विदिशा के न्यायालय में अपील की जिसमें दिनांक 14-9-07 को पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं अतः व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही समाप्त की जाये । इसके उपरांत जिला न्यायाधीश विदिशा ने आदेश दिनांक 9-9-08 को आदेश पारित करते हुए आवेदक की अपील स्वीकार की एवं विचाराधीन आदेश अपास्त करते हयुए यह आदेश दिए कि अनावेदकगण विवादित भूमि खसरा नं. 44/3 रकबा 4 हैक्टर में वादी के कब्जे दखल में अवैध रूप से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्वयं या उनके कर्मचारियों के माध्यम से हस्तक्षेप न करें । इस आदेश के उपरांत तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 13-3-09 द्वारा शासकीय अभिभाषक से उक्त आदेश के संबंध में वर्तमान स्थिति एवं मार्गदर्शन चाहा गया । शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त पत्र का जबाव दिनांक 12-8-09 को तहसीलदार को दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद दिनांक 15-7-09 को निरस्त हो गया है अतः विधि अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा जिला न्यायाधीश विदिशा के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29-1-10 को आदेश पारित करते हुए आवेदक की अपील स्वीकार की तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक स्वयं या

अन्य किसी माध्यम से हस्तक्षेप न करें । इस आदेश के उपरांत तहसीलदार द्वारा पुनः शासकीय अधिवक्ता से मार्गदर्शन पत्र दिनांक 8-4-10 द्वारा चाहा गया जिसका उत्तर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 4-5-10 को दिया गया जिसमें लेख किया गया " मेरे मत में विधिवत नामांतरण की कार्यवाही कर विवादित भूमि को वन विभाग की भूमि दर्ज किया जा सकता है तथा किया बेदखल किया जा सकता है । " इस पत्र के आधार पर तहसीलदार ने अग्रिम कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 5-5-10 को आवेदक को बिना सुने पटवारी को अभिलेख सहित उपस्थित होने, रेंजर, ग्यारसपुर से अभिमत प्राप्त करने एवं अनावेदक को सूचित किए जाने के निर्देश देते हुए प्रकरण दिनांक 18-5-10 को नियत किया । दिनांक 18-5-10 की आदेश पत्रिका अनुसार पटवारी को अभिलेख में अमल करने के निर्देश देते हुए प्रकरण दाखिल रिकार्ड किए जाने के आदेश दिए ।

तहसीलदार के 18-5-10 के आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया हि। जिसमें लेख किया गया कि तहसीलदार के आदेश की सूचना उन्हें 6-8-10 को प्राप्त हुई है अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई की सूचना नहीं दी गई है अतः विलंब माफ किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में बताए गए आधार औचित्यहीन एवं निराधार मानते हुए अपील निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि तहसीलदार न्यायालय ने आवेदक को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में समयावधि का बिंदु बंधनकारी नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2010 आर0एन0 111 एवं 113, 2010 आर0एन0 157 (उच्च न्यायालय) का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 8-3-10 एवं 5-5-10 से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में उक्त दिनांक को आवेदक एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे । पेशी दिनांक 8-3-10 की आदेश पत्रिका अनुसार

शासकीय अधिवक्ता से जिला न्यायाधीश की निर्णय व डिक्री के संबंध में मार्गदशन प्राप्त करने हेतु प्रकरण लंबित रखा और कोई पेशी नियत नहीं की ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी 20-5-10 को ग्राम पटवारी द्वारा बतलाए जाने पर हुई, आवेदक ने विलंब के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दिया है किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक ने विलंब का स्पष्टीकरण दिया है तथा विलंब का समुचित कारण दर्शाया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अवधि बाह्य मानकर वैधानिक भूल की है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसील न्यायालय ने माननीय जिला न्यायाधीश विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/2009 अपील दीवानी चिंरोजी लाल बनाम म0प्र0 शासन निर्णय डिक्री दिनांक 29-1-10 का पालन न करते हुए आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अवैधानिक है क्योंकि विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । इस संबंध में उनके द्वारा 2006 आर0एन0 351 एवं 2001 आर0एन0 155 का हवाला दिया गया है ।

यह भी तर्क दिया गया कि जिला न्यायाधीश विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-1-10 के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 227/2012 प्रस्तुत की गई थी जा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2-8-2015 से निरस्त की जा चुकी है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए इस प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं ।

यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को प्रकरण क्रमांक 10/अ-19/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 30-4-85 द्वारा किया गया था , उक्त आदेश अभी भी प्रभाव में है । जिसे अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है । उक्त तर्को के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 22-2-10 की आदेश पत्रिका अनुसार पीठासीन अधिकारी के भ्रमण पर होने से रीडर

द्वारा पेशी बढ़ाई जाकर दिकनांक 8-3-10 नियत की गई है । आदेश पत्रिका दिनांक 8-3-10 के अनुसार माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर शासकीय अभिभाषक से मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने का उल्लेख है तथा यह भी उल्लेख है कि मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये । प्रकरण में कोई तिथि नियत नहीं की गई है । इसके उपरांत दिनांक 5-5-10 को तहसीलदार द्वारा प्रकरण लिया जाकर पटवारी को अभिलेख सहित उपस्थित होने तथा रेंजर से अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं साथ ही आवेदक को भी सूचित करने के निर्देश दिए हैं एवं प्रकरण 18-5-10 को नियत किया है । दिनांक 18-5-10 की कोई सूचना आवेदक को दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । आदेश पत्रिका दिनांक 18-5-10 के अनुसार तहसीलदार ने रेंजर से प्राप्त अभिमत का उल्लेख करते हुए पटवारी से अमल दरामद के निर्देश देते हुए प्रकरण दाखिल रिकार्ड के निर्देश दिए हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सुने पारित किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश की जानकारी का जो दिनांक बताया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, अनुविभागीय अधिकारी उक्त तथ्य को अनदेखा कर आवेदक की अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इस कारण उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ जहां तक तहसीलदार के आदेश का प्रश्न है उक्त आदेश भी न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को प्रकरण क्रमांक 10/अ-19/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 30-4-85 द्वारा किया गया है, जिसे आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया या है और उक्त आदेश आज भी प्रभावी है, इसके अतिरिक्त विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक 27ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 29-1-10 द्वारा आवेदक की अपील स्वीकार की जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक स्वयं या अन्य किसी माध्यम से हस्तक्षेप न करें । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष म0प्र0 शासन की ओर से जिला न्यायाधीश, विदिशा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29-1-10 के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक 227/2012 आदेश दिनांक 26-8-2015 द्वारा निरस्त की जा चुकी है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधन कारी है । प्रकरण के तथ्यों एवं जिला न्यायाधीश एवं माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-3-15, अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-12 तथा तहसीलदार, ग्यारसपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-5-10 एवं 18-5-10 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख पूर्ववत संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर